ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 16 July 2020

मौर्यकालीन कृषि व्यवस्था

रौशन कुमार
नेट– यूजीसी
शोधार्थी–इतिहास विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना
Mob: No. 7654996927
e-mail : raushankumr19021983@ gmial.com

मौर्यकालीन कृषि के संबंध में जानकारी हमें मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख तथा मगास्थनीज की इण्डिका से मिलती है। कौटिल्य ने बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार अन्नोत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक उपायों का उल्लेख किया है। इसके लिए आवश्यक था अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाना। अतः कौटिल्य ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने तथा जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने का सुझाव दिया।[1] उसने परती भूमि[2] को भी कृषि योग्य बनाने का विस्तृत सुझाव दिया । इसके लिए विभिन्न वर्गों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ॰ घोषाल के अनुसार गाँव दूर–दूर बसाए गए ताकि दो गाँवों के बीच की भूमि पर खेती की जा सके। उनमें शूद्रों की संख्या अधिक रखते थे ताकि खेती के द्वारा अन्न की मात्रा बढ़ाई जा सके। खेती न करने पर भूमिपति को जुर्माना देना पड़ता था अथवा भूमि से वंचित होना पड़ता था।[3] बंजर भूमि पुरोहितों, अध्यापकों तथा वेदज्ञों को करमुक्त दी जाती थी। स्थानिक, वैद्य, गोप को भूमि इस शर्त्त पर दी जाती थी कि वे इसे बेचेंगे नहीं।[4]

कौटिल्य ने उपज की दृष्टि से भूमि का अलग–अलग बँटवारा किया था। ऊसर भूमि को '**अकृष्ट**', उपजाऊ को '**कृष्ट**' तथा बंजर भूमि को '**स्थल**' कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि की मात्रा बढ़ाने के लिए वनों को काटकर तथा अनुर्वर भूमि में खाद डालकर उसे 'उर्वर' बनाया जाता था। चर्बी, मछली, गोबर, राख आदि का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता था।[5] यूनानी लेखकों ने भी मौर्यकालीन भारतीय भूमि की उर्वरता की प्रशंसा की है तथा विभिन्न प्रकार के अनाजों और फलों का उल्लेख किया

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 16 July 2020

है।[6] मेगास्थनीज के अनुसार भी भारत में उपजाऊ भूमि में खेती की जाती थी।[7] खेती परंपरागत हल–बैल की सहायता से की जाती थी। खेतों तक सरलता से पहुँचने के लिए कौटिल्य कहता है कि गाँवों के बीच दो कोस की दूरी होनी चाहिए।[8] कौटिल्य के अनुसार जो स्वयं खेती नहीं करते थे उनकी भूमि छीनकर दूसरों को दे देनी चाहिए परंतु जो परिश्रम से भूमि को उर्वरा बनाते हैं उनसे भूमि नहीं छीननी चाहिए।[9]

मौर्यकाल में राज्य कृषि की उन्नति के लिए कार्य करता था। राज्य की ओर से नियुक्त समाहर्त्ता नामक अध्किारी कृषि पर ध्यान रखत था। राज्य पशु, धन, बीज, सिंचाई की व्यवस्था, ऋण, कर में छूट आदि सुविधा देकर कृषकों को खेती के लिए प्रोत्साहित करता था। अगर किसान स्वयं बीज मँगाता था तो उसपर कर नहीं लिया जाता था। कृषि काल में कृषकों से ऋण की वसूली नहीं की जाती थी। अगर कोई कृषक स्वयं खेत बनाकर खेती करता था तो वह भूमि उसकी हो जाती थी। कृषक कृषि कार्य विधिवत रूप से करे, इसके लिए राज्य खेती के समय सामूहिक नाच–गाने पर रोक लगाती थी ताकि किसान इस ओर आकृष्ट होकर कृषि से विरक्त न हो जाए।[10] मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय सात जातियों में किसानों को दूसरा दर्जा प्राप्त था।[11] कृषकों को सेना की नौकरी से छूट थी। कृषकों को अवध्य माना जाता था। युद्धकाल में शत्रु सेना भी किसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती थी।[12] इसकी महत्ता मेगास्थनीज के इस कथन से स्पष्ट होती है कि ''भारत वर्ष में अकाल कभी नहीं पड़ा है और खाद्य वस्तुओं की महँगाई कभी नहीं रही।''[13] हुसैनी ने कहा है कि मेगास्थनीज के विवरण, अर्थशास्त्र के दो उद्धरणों तथा भट्टशाली की व्याख्या से स्पष्ट है कि भूमि पर राजा का स्वत्व था।[14] डायोडोरस के अनुसार मेगास्थनीज ने बताया है कि भूमि राजा की थी, इसी से उत्पादन का 1/4 भाग राजा को देना होता था। स्ट्रेबो के कथनानुसार भी देश राजा का था और उत्पाद का 1/5 भाग उसे देना होत था।[15]

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 16 July 2020

मौर्यकाल में कृषि भूमि दो प्रकार की थी :–राजकीय (सीता) तथा व्यक्तिगत। राजकीय भूमि पर कृषि कार्य सीताध्यक्ष देखता था। यह बोवाई से कटाई तक सारी प्रक्रिया पर निगरानी रखता था। संभवतः यह कुशल किसानों में से ही नियुक्त किया जाता होगा। कृषि के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति का ज्ञान भी मिलता है। अशोक के काल में प्रादेशिक और रज्जुक नामक अधिकारी भी कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए थे और वन से संबंध्ति अनेक उद्योग थे।[16] एरिस्टोथिनीज के अनुसार फसलों में प्रमुख उत्पादन गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वारा, चावल आदि था।[17] कौटिल्य ने भी अनेक प्रकार के फसलों का विवरण दिया है। उसने कई प्रकार के चावल जैसे–साठी आदि, कई प्रकार की दालें जैसे–मूँग, मसूर, उड़द आदि तथा अन्य अनाजों में जैसे–गेहूँ, मटर, जौ, सरसों आदि के उत्पादन का उल्लेख किया है।[18]

मौर्यकाल में फसलों की सिंचाई के संबंध में जानकारी विदेशी यात्रियों तथा तत्कालीन लेखकों से मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी सिंचाई के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है।[19] वर्षा सिंचाई का प्रमुख साधन था तथा कुएँ, तालाब, झील, नदी, नहर आदि सिंचाई के अन्य साधन थे। राज्य की ओर से भी सिंचाई के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था की जाती थी। मेगास्थनीज ने इसका उल्लेख किया है।[20] चन्द्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से कराया था तथा वहाँ का गवर्नर पुष्यगुप्त को नियुक्त किया था। इस बाँध के टूट जाने पर अशोक ने इसे पुननिर्मित कराया था तथा वहाँ अपने गवर्नर तुहशाष्प को नियुक्त किया।[21] अशोक के बाद इस बाँध का पुनरुद्धार महाक्षत्रप रूद्रदामन ने करवाया। रूद्रदामन के जूनागढ़ लेख[22] से इसकी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि सिंचाई से संबंधित कार्य समाहर्ता नामक अधिकारी के अधीन था। इसके कार्यों में नदीपाल और सीताध्यक्ष भी सहायता करते थे। अर्थशास्त्र से यह जानकारी मिलती है कि जल स्रोतों का निर्माण करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए राजा द्वारा कर मुक्त किया जाता था।[23] इस प्रकार कर में छूट देकर राज्य किसानें को जलस्रोतों के विस्तार के लिए प्रोत्साहित करता था। जो लोग

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 16 July 2020

सिंचाई के कार्यों में बाधा डालते थे, उन्हें दण्ड दिया जाता था। अतः हम कह सकते है कि मौर्यकाल में सिंचाई व्यवस्था राज्य के अधीन थी।

मौर्यकाल में प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में भी जानकारी मिलती है। राजा का कर्त्तव्य था कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा और फसलों की रक्षा करना। प्राकृतिक आपदाओं में अग्नि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले, कीड़े, व्याधि, मूषिक, अरण्य पशु, सर्प आदि शामिल थे। फसल पक जाने के बाद कृषक उसकी कटाई करते थे। कौटिल्य का कहना है कि जब फसल पककर तैयार हो जाए तो उसे कटवाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा देना चाहिए। पुआल एवं भूसी जैसी वस्तुओं को भी खेतों में नहीं छोड़ना चाहिए।[24] फसल के दानों को मणनी तथा दौनी द्वारा अगल किया जाता था।[25] इसके बाद किसान अन्न का भण्डारण सुरक्षित पात्र में कर लेते थे। इस काल में अन्न के भण्डारण के लिए राजकीय कोष्ठागारों के संबंध में जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने कहा है कि अन्न रखने के स्थान को सतह से ऊँचा बनाना चाहिए ताकि वर्षा काल में अन्न नमी के कारण सड़े नहीं। अन्नागारों को दृढ़ एवं घिरा हुआ बनाना चाहिए।[26] कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि कोष्ठागार में जो सामग्रियाँ रखी जाए उनका आधा भाग आपत्ति काल में जनपद की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। नयी फसल आ जाने पर पुरानी फसल को उपयोग में लेना चाहिए।[27]

संदर्भ :

1. **अर्थशास्त्र,** 2/104
2. **अर्थशास्त्र** 2/1, करदेम्यः कृतक्षेत्राणि, एक पुरुषिकाणि प्रयच्छेत्। अकृतानि कर्ततृभ्यो नादेयात्।
3. घोषाल, यू. एन., **एग्रेरियन सिस्टम इन एन्सिएन्ट एण्डिया**।
4. **अर्थशास्त्र,** 2/108, सहाय, शिव स्वरूप, उपरिवत् पृ॰ 327
5. **प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास**, डॉ॰ पाण्डेय, पृ॰ 587
6. स्ट्राबो, 15/1/16/20
7. ..... **मेनी वेस्ट प्लेनस् ऑफ ग्रेट फर्टिलिटी** .... एन्सियेंट इंडिया, पृ॰ 21
8. **अर्थशास्त्र**, 2/1

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 16 July 2020

9. **अर्थशास्त्र**, 2/1, सहाय, शिव स्वरूप, उपरिवत्, पृ॰ 328
10. वही
11. डायोडोरस, 2/40
12. तुलनीय गुडिंग, पृ॰ 119 एक बौद्ध पुस्तक अभिधम्मकोष व्याख्या (आई. एच. क्यू. 2, सं. 3, 1926, पृ॰ 656) में लिखा है : ''राजा के आदेशानुसार किसानों के काम करते जाने और शत्रु द्वारा देश नष्ट कर दिये जाने पर भी दार्शनिकों को वाद–विवाद में तर्क संगत होना चाहिए।''
13. एन्सियेंट इंडिया, पृ॰ 32
14. **इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया,** हुसैनी, एस. ए. क्यू., पृ॰ 153
15. **क्लासिकल अकाउंट ऑफ एन्सियेंट इण्डिया**, मजुमदार, आर॰ सी॰, पृ॰ 239
16. **ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रैग्मेंट्स ऑफ इण्डिया ऑफ मेगास्थनीज**, स्वानवेक, एफ.ए.
17. एन्सियेंट इण्डिया, पृ॰ 25
18. **अर्थशास्त्र**, अधिकरण 2, अध्याय 24, सहाय, शिव स्वरूप, **उपरिवत्**, पृ॰ 329
19. **अर्थशास्त्र**, 2/24
20. मैक्रिन्डल, जे. डब्ल्यू., **एन्सियेंट इण्डिया एजडिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर**, फ्रैग्मेन्ट्स, XXXIV
21. रूद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख
22. सरकार, डी. सी. **उपरिवत्**, पृ॰ 176
23. अच्छेलाल, **उपरिवत्**, पृ॰ 107
24. **अर्थशास्त्र,** 2/24
25. वही
26. वही
27. **अर्थशास्त्र,** 2.15

Copyright @ 2020 Authors